संख्या-01/2026/I/1195068/2025 /003-71-4002-099-9-2025

प्रेषक,

प्रभात कुमार ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान,
नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक **05.01.2026**

विषयः- बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान,नोएडा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के गैर-वेतन मद की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एस0एस0पी0एच0 एण्ड पी0जी0टी0आई0/वित्त/2025-26/341, दिनांक 16.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपए 50,00,00,000/- (पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-17/2025/I/932427/2025/001-71-4002-099-9-2025, दिनांक 09.04.2025 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में रू0 12,50,00,000.00 (रूपये बारह करोड पचास हजार मात्र) तथा शासनादेश संख्या-37/2025/I/1080880/2025/002-71-4002-099-9-2025, दिनांक 08.09.2025 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में रू0 12,50,00,000.00 (रूपये बारह करोड पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अतएव संदर्भित पत्र दिनांक 16.12.2025 द्वारा किये गये अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त तृतीय किश्त के रूप में रूपये **12,50,00,000/- (रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त करते हुए उसे आपके निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय/ संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकत्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
5. उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के सापेक्ष सुसंगत शर्तो/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका सवम्पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय /संस्थान के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,50,00,000 (रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050370 सुपर स्पेशिलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोयडा की स्थापना मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-210/दस-2025-26 दिनांक 01-01-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभात कुमार)
विशेष सचिव।

<u>संख्या, एवं तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 प्रयागराज।
5. कोषाधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
6. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
8. वित्त अधिकारी , महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. नोडल अधिकारी, बजट , चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र),
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in